राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
(SSAAT)
कमरा नं. 8320 एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

F.61(209)SSAAT/Estt./Consultant/2024-08285-5311222दिनांक : ई-हस्ताक्षरित S772 — 11.08.26

श्री कैलाश चंद सिंगाडिया,
से.नि. शासन उप सचिव,
हा.न.5 प्रतिक विहार,
मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर।

विषयः— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1) "एकल स्त्रोत उपापन" के तहत सोसायटी मुख्यालय में सलाहकार के रूप में संविदा पर लगाने हेतु कार्यादेश।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव दिनांक 24.06.2026 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1) "एकल स्त्रोत उपापन" के अन्तर्गत सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय में (TOR) हेतु सलाहकार/विषय विशेषज्ञ के रूप में परामर्शी सेवाएं देने हेतु आपके प्रस्ताव को उपापन समिति की अभिशाषा अनुसार स्वीकार करते हुए पारिश्रमिक राशि रूपये 36600/— (अक्षरे छत्तीस हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से प्राप्त स्वीकृति के तहत सलाहकार के रूप में संविदा पर लिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण तिथि से 07 कार्य दिवस में 500/— रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का निष्पादन करें। कार्यभारग्रहण करने के पश्चात कार्य आवंटन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे। यह आदेश निम्न सेवा शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है:—

सेवा शर्तें :—

1. अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से 01 वर्ष की होगी।
2. कार्यालय समय में नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करना।
3. राजकीय अवकाश के अतिरिक्त एक कलैण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अतिरिक्त अवकाश लेने पर अनुपातिक रूप से फीस में कटौती की जाएगी।
4. किसी प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण देय नहीं होगा।
5. यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
6. सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देने हेतु स्वीकृत दर से सलाहकार राशि रु. 36600/— प्रतिमाह देय होगी।

7. 12 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश लेने पर अनुपातिक रूप से फीस में कटौती की जाएगी।
8. मासिक देय फीस में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।
9. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर एक वर्ष से पूर्व भी 15 दिन का नोटिस देकर सलाहकारी सेवाओं से हटाया जा सकेगा।
10. श्री कैलाश चंद सिंगाडिया, सेवानिवृत्त शासन उप सचिव को सलाहकार के पद पर एक वर्ष या श्री सिंगाडिया, को दिये गये कार्य के लिए नियमित कार्मिक की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक सेवाएं रहेंगी।
11. श्री कैलाश चंद सिंगाडिया को निर्देशित किया जाता है कि वे 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12. किसी तरह का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

(सॉवर मल वर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

F.61(209)SSAAT/Estt./Consultant/2024-08285-5311222दिनांक : ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT।
3. आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय हाजा।
4. संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा।
5. प्रोग्रामर (SSAAT) को प्रेषित कर लेख है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) "एकल स्त्रोत उपापन" के अन्तर्गत उपर्युक्त सूचना को अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, (SSAAT)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date :10-08-2026 03:45:02

RajKaj Ref No.:
23929408